झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 25.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री बादल, आलमगीर आलम, एवं श्री मनोज कुमार यादव स0वि0स0	राँची नगर निगम द्वारा निजी भवन स्थल पर लगे होर्डिंगों के विज्ञापन-कर की दरों पर अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गयी और यह वृद्धि नगर निगम स्थल यानि निगम की जमीन पर लगने वाले होर्डिंग के विज्ञापन कर में की गई वृद्धि की तुलना में बहुत ज्यादा है जो अनुचित प्रतीत होता है और इस व्यवसाय में लगे स्थानीय व्यपारियों को हटा कर चुनिंदा लोगों को लाभ पहुँचाने के ख्याल से किया गया है। एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करना यहाँ प्रासंगिक है। वर्ष 2012 में नई दरों के लागू होने पर निगमबोर्ड द्वारा पुराने दर 1.50 रूपये प्रति वर्गफीट को बढ़ाकर 15 रूपये प्रति वर्गफीट कर दिया गया था परन्तु 15 रूपये प्रति वर्गफीट वाली दर को शहर में लोकेशन के महत्व के आधार पर वर्ष 2015-16 के लिए 60 रूपया, 45 रूपया और 30 रूपया प्रति वर्गफीट किया गया है जबकि निगम वाली जमीन पर वर्ष 2006 में ही बढ़ाया गया जो दर 80 रूपया प्रति वर्गफीट था उसे 200 रूपया प्रति वर्गफीट कर दिया गया और जो दर 70 रूपया प्रति वर्गफीट था उसे 150 रूपया प्रति वर्गफीट कर दिया गया। अतः निजी जमीन और निगम की जमीन पर लगाये जाने वाले होर्डिंग पर विज्ञापन दर पर असमान वृद्धि दर को दूर करने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	नगर विकास

01.	02.	03.	04.
02-	सर्वश्री जानकी प्रसाद यादव, ताला मराण्डी एवं श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में अवस्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान आज तक लंबित है। यह परियोजना बालिका उच्च विद्यालय 1984-85 से झारखण्ड राज्य में संचालित है। 1984-85 में प्रबंध कारिणी समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षेकेत्तर कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते आ रहे है। सरकार भी कई बार आश्वासन दे चुकी है तथा मंत्री परिषद् में भी यह मामला आया था, परन्तु आजतक इनलोगों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है। वेतन भुगतान नहीं होने के कारण इनलोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। मानव संसाधन विकास विभाग के संलेख ज्ञापांक- 1646, दिनांक- 27.06.2011 में संहित प्रस्ताव मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक- 05.07.2011 में मद्य संख्या- 27 में सम्मिलित किया गया, फिर भी इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान लंबित है। अतः मैं सदन के माध्यम से झारखण्ड राज्य में अवस्थित परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की ओर सरकार का ध्यान-आकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	श्री अरूप चटर्जी एवं श्री राजकुमार यादव स0वि0स0	J.E.P.C. झारखण्ड राँची अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2007-08 से लेकर 2011-12 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मुद्रण एवं आपूर्ति के क्रम में मुद्रकों से निविदा शर्त्तो के अनुसार काटी गयी विलंब दंड राशि का भुगतान तत्कालिन विभागीय प्रधान सचिव श्री बी0के0 त्रिपाठी द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट से किया जाना वित्तीय नियमावली के प्रतिकूल है, जो SSA के Manual on Financial Management and Procurement. के खण्ड 88.1 एवं 88.2 में स्पष्ट है कि यह इस प्रकार के Liabilities. की निर्वाहन का इजाजत नहीं देती है। अतएव ऐसी घोर वित्तीय अनियमितता सह नियमावली के विरूद्ध कार्य कर आठ करोड़ की सरकारी राशि के बन्दरबांट में जिम्मेदार तत्कालिन विभागीय प्रधान सचिव पर अविलंब निलंबन संबंधी प्रक्रिया पर एवं उक्त सरकारी राशि को वापस लेने हेतु विषयों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की ओर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
04-	श्री रामचन्द्र सहिस स०वि०स	छठे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित फिटमेंट कमिटी के प्रतिवेदन के अध्याय 3 पारा 3.1.1 (a) झारखण्ड प्रशासनिक सेवा का प्रवेश वेतनमान पे- बैंड iii अन्तर्गत 15,600-39,100 निर्धारित करने की अनुशंसा की गयी थी। परन्तु वित्त विभाग के माध्यम से 28.02.2009 को प्रकाशित असाधारण गजट के सिडयुल iii में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा का मुल वेतनमान 8,000-13,500 का नया वेतनमान PB-ii अन्तर्गत 9,300-34,800 एवं ग्रेड-पे 5400/- निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के कारण वेतन विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तथा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मुल कोटि के पदाधिकारी के 10 (दस) वर्ष उपरान्त प्राप्त MACP उनके ग्रेड-पे 5400/- में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है। राज्य सरकार ने इसके लिए सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में अपीलीय कमिटी भी गठित की है, परन्तु उसने भी अपना प्रतिवेदन समर्पित नही किया है। अतः मैं उपर्युक्त विसंगति के निराकरण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	वित्त
05-	श्री साधु चरण महतो एवं श्री लक्ष्मण टुडू स०वि०स०	चाण्डिल डैम से नीमडीह प्रखण्ड के कई गाँव विस्थापित हुए हैं लेकिन उक्त डैम से नीमडीह प्रखण्ड की ओर कोई भी सिंचाई की सुविधा नही दी गई है। इसलिए सरकार निम्नः- 1- ओड़िया पुल या 2- हेवेन घाट या 3- लावा घाट स्थानों में से किसी एक जगह से तीसरी नहर का निर्माण होने पर सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह प्रखण्ड एवं पूर्वी सिंहभूम जिला के बोड़ाम और पटमदा प्रखण्ड के हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा होगी। अतः चाण्डिल डैम से मुढ़ु, बान्दु, आदारडीह, केतुंगा, वामनी, चलियामा, सामानपुर, आमझोर, कोयरा, सोमाडीह, कुयानी, बोड़ाम, दुन्दु, रसिक नगर, बांगुड़दा, काटीन होते हुए गेंगाड़ा बनकुंचिया, दान्दुडीह, बंगाल सीमा तक तीसरी नहर निर्माण कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगा।	जल संसाधन

राँची,
दिनांक- 25 फरवरी, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-1480/वि0 स0, राँची, दिनांक- 24/02/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ नगर विकास विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/वित्त विभाग एवं जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शिशिर कु. झा 24.2.16.
(शिशिर कुमार झा)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-1480/वि0 स0, राँची, दिनांक-24/02/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

शिशिर कु. झा 24.2.16
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

24/02